आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारें में टिप्पणी तारीख के साथ
11/01/21		

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 144/2019–2020
(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता श्री मानकी सिंह, पिता–शालीग्राम सिंह, ग्राम–शेखपुरा, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11. 10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
87, 88	820	01 कट्ठा	उतर–तीज दक्षिण–जगरनाथ महतो पूरब–एकराम महतो पश्चिम–तिलक महतो

मौजा–शेखपुरा, थाना नं०–111, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नही हुए और न किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के पत्रांक 647 दिनांक 21.12.2020 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर अंकित है एवं गवाह के रूप में महादेव सिंह का हस्ताक्षर अंकित है। भूमि दिनांक 11.11.1953 में दान किया गया है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि भूमि मालिक गैरमजरूआ खतियान में दर्ज है। जमाबंदी संख्या–116 पर खाता संख्या–87 एवं 88 दर्ज है।

भूदान वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के पत्रांक 799 दिनांक 06.10.2020 में अंकित है कि बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम–1954 की धारा–12 का अवलोकन किया जा सकता है, जिसमें अंकित प्रावधान निम्नवत् है:–

Donation of land by a proprietor or tenure-holder after vesting of his estate or tenure in the state under Bihar Act xxx of 1950-(1) When a

proprietor or tenure holder whose estate or tenure has vested in the state under the Bihar Land Reforms Act,1950 (Bihar Act XXX of 1950), has made before the commencement of this Act a declaration in writing purporting to donate to Shir Acharya Vinoba Bhave any land comprised in such estate or tenure, such declaration shall be treated as Bhoodan Yagna Danpatra and the provisions of this Act shall apply mutatis mutandis in respect of land donated under such Bhoodan Yagna Danpatra as they apply in respect of donation of land made after the commencement of this Act.

Provided that in dealing with such Bhoodan Yagna Danpatra under Section 11, the Revenu Offocer shall deal with it as if the land covered by such Bhoodan Yagna Danpatra had not vested in the state under the Bihar Land Reforms Act, 1950 (Bihar Act XXX of 1950) विशेष उल्लेखनीय है कि बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम दिनांक 01.09.1954 की तिथि से प्रभावी है।

अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 799 दिनांक 06.10.2020 एवं पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 (5) के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद –सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।